फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

र्थी :—नैनकंवर पत्नी मोहब्बतसिंह **बनाम**:—अप्रार्थी:— सुरेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह वगैरह

स्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र:— मु.नं. 81 / सन : 2023

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
3		

वकील प्रार्थीया उपस्थित।

वकील प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमि सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण मे स्थित कृषि भूमि ख.नं. 840 रकबा 1.6187 हैक्टर, ख.नं. 859 रकबा 16.0417 हैक्टर भूमि आयी हुई हैं। वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में संयुक्त सामलाती दर्ज हैं, राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नही हो रखा हैं। इसी वजह से खातेदारों के बीच कई बार इस भूमि के नाप चौपं को लेकर विवाद रहा हैं। अप्रार्थीगण प्रर्थीया के हक हिससे की आराजी पर अतिक्रमण कर कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण करने की धमकीया देते रहते है, प्रार्थीया को बेदखल कर किसी अन्य को बैचान हस्तान्तरण करने पर आमदा हैं, प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया के हक हिस्से की आराजी मे दखलदांजी, बेदखल नही करे, किसी विशिष्ट भू भाग का रहन बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे न ही कोई नवनिर्माण आदि करे, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अधिवक्ता प्रार्थीया पर गौर कर मनन किया गया। विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया, अतः आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 840 रकबा 1.6187 हैक्टर, ख.नं. 859 रकबा 16.0417 हैक्टर भूमि आयी हुई हैं। आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 09.03.2023 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो।

87
13/2/23

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण (पाली)

7/3/23 मूल वाद में प्रार्थीया का अधिवक्ता द्वारा वाद विड्रोल करने हेतु प्रा.पत्र पेश [illegible] फेस करने से पत्रा. अस्थाई [illegible] वादीया का मूल वाद [illegible] चुका है मूल वाद [illegible] हालात प्रा.पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने व पुख्ताहीन हो जाने से प्रार्थीया का [illegible]

नैनकंवर

I.D.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.03.13 18:09:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... जारी हुए ...
	हालात प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा से जम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर होवे। अन्तार जारी हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.03.13 18:09:43 IST
Reason: SelfAttested